निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्याः 03/2021 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र श्री सूरजादास जाति स्वामी निवासी भूरी भडाज, थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर।
2. ओम प्रकाश पुत्र श्री प्रहलाद सहाय जाति यादव निवासी टसकोला, थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 2260 लीटर डीजल व वाहन पिकअप संख्या आरजे–32 जीबी 5141 को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.07.2021

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.3.2021 को श्री रतनाराम देवासी प्रोबेशनर आरपीएस वृत्ताधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर ग्रामीण थाना सरूण्ड पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट तहरीर इस आशय की पेश की कि दिनांक 23.03.2021 को दौराने नाकाबन्दी नारेहडा की तरफ से एक पिकअप गाडी नम्बर आर जे 32 जी बी 5141 आई जिसके चालक को हाथ का इसारा कर रूकवाकर चैक किया गया तो गाडी में चालक सहित दो व्यक्ति बैठे मिले जिनसे नाम पता पूछा तो पिकअप चालक ने अपना नाम मूलचन्द पुत्र सुरजादास जाति स्वामी निवासी भूरी भडाज थाना प्रागपुरा जिला जयपुर व खल्लासी साईड बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम ओम प्रकाश पुत्र प्रहलाद सहाय जाति यादव निवासी टसकोला थाना प्रागपुरा जिला जयपुर का होना बताया। पिकअप गाडी को चैक करने पर गाडी में 200–200 लीटर के 11 ड्रम व 60 लीटर की एक जरीकेन में कुल 2060 लीटर डीजल भरा हुआ मिला । इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत अनुज्ञापत्र/वैद्य बिल पेश करने का कहा गया तो दोनों के पास कोई अनुज्ञापत्र व डीजल का कोई बिल नही होना बताया तथा उक्त डीजल हरियाणा से क्रय कर लाना बताया। इस तरह पिकअप सवार उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में अवैद्य डीजल का परिवहन किया जा रहा था जिनको मौके पर ही डिटैन किया गया। अतः जब्त शुदा डीजल व पिकअप नम्बर

जिला कलक्टर
जयपुर

आरजे–32 जीबी 5141 को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार यादव ने उपस्थित होकर वकलातनामा व दस्तावेज पेश किये ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विभागीय पैरोकार ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया, पिकअप गाडी को चैक करने पर गाडी में 200–200 लीटर के 11 ड्रम व 60 लीटर की एक जरीकेन में कुल 2060 लीटर डीजल भरा हुआ मिला । इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत अनुज्ञापत्र/वैद्य बिल पेश करने का कहा गया तो दोनों के पास कोई अनुज्ञापत्र व डीजल का कोई बिल नही होना बताया तथा उक्त डीजल हरियाणा राज्य से कय करके लाना बताया । हरियाणा राज्य में राजस्थान से कम कीमत पर डीजल मिलता है इसलिए हरियाणा राज्य से डीजल कय कर राजस्थान राज्य में ऊंचे दामों पर विकय कर अप्रार्थीगण की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति प्रकट होती है। अतः जब्तशुदा डीजल व पिकअप नम्बर आरजे–32 जीबी 5141 को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थीगण किसान है और अपने कृषि कार्य के लिए 2260 लीटर डीजल हरियाणा से कय करके लाया जा रहा था । कृषि कार्य की पुष्टि के लिए जमाबन्दी की नकल अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। सरकार द्वारा 2500 लीटर तक डीजल परिवहन करने एवं भण्डारण करने बाबत किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र की आवश्यकता नही है। इसके बाजवूद पुलिस द्वारा कानून के बाहर जाकर प्रार्थीगण द्वारा कय कर परिवहन किये जा रहे डीजल व पिकअप को जब्त कर लिया गया है। अतः जब्त डीजल व पिकअप को रिलीज करने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 23.03.2021 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी श्री रतनाराम देवासी वृत्ताधिकारी वृत्त कोटपूतली जिला जयपुर ग्रामीण ने दिनांक 23.03.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा 2260 लीटर डीजल अवैद्य रूप से हरियाणा से राजस्थान में परिवहन करते पकडा है। यह सही है कि केन्द्र सरकार पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव) आदेश 1999 के तहत एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लीटर से अधिक पैट्रोल उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने जब्त डीजल हरियाणा राज्य से क्रय किया जाना बताया है। अप्रार्थीगण ने डीजल को अपनी निजी कृषि कार्य में लेने का कथन किया है जिसके लिए केवल कृषि भूमि के रिकार्ड की जमाबन्दी की नकले पेश की गई है, गिरदावरी की नकल पेश नहीं की गई। गिरदावरी के अभाव में अप्रार्थीगण के कथन की पुष्टि नहीं होती है। अप्रार्थीगण द्वारा पिकअप में ड्रमों में डीजल भर कर परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थीगण हरियाणा राज्य की सीमा के समीप निवास करते है और डीजल हरियाणा से क्रय किया गया है तथा राजस्थान सीमा में परिवहन करते जब्त किया गया है। राजस्थान के मुकाबले हरियाणा में डीजल सस्ता मिलता है जिससे अप्रार्थीगण की अवैद्य मुनाफा की बदनीयति एवं आपराधिक मनः स्थिति सिद्व होती है। प्रकरण में मेन्सरिया भी पाया जाता है। अतः जब्त शुदा डीजल 2260 लीटर व डीजल के

जिला कलक्टर जयपुर

परिवहन के लिए प्रयोग मे लिए गये वाहन पिकअप संख्या आरजे–32 जीबी 5141 को राजसात किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 2260 लीटर डीजल व उसको परिवहन किये जाने वाले वाहन पिकअप नम्बर आरजे–32 जीबी 5141 को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

८. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना सरूण्ड एवं जांच अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह उप निरीक्षक पनियाला एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

९. निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 सरे इजलास सुनाया गया।

13/7/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला कलक्टर

जयपुर